समाचार

<u>द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम</u>

मतदान केन्द्रो में अब दावा आपत्ति 07 सितंबर तक प्राप्त किये जायेगें दावा-आपत्ति की तिथि 31 अगस्त से बढ़ा कर 07 सितंबर तक किया गया जांजगीर चांपा 31 अगस्त 2018/भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियांे का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने, त्रुटिसुधार, स्थान परिवर्तन इत्यादि से संबंधित दावा-आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 31 अगस्त से बढ़ा कर 07 सितंबर तक कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2018 की स्थिति में 18 वर्ष प्राप्त कर चुके व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन लिये जा रहे है। इसी प्रकार मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने एवं त्रृटि सुधार संबंधी आवेदन भी मतदान केन्द्रो में अभिहित अधिकारियों द्वारा लिये जा रहे है, जिसकी तिथि बढ़ा कर अब 07 सितंबर कर दी गई है।

जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में कतिपय कारणों से दर्ज नही हो पाया है वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फार्म 06 में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसी प्रकार नाम विलोपन के लिए फार्म 7 और त्रुटिसुधार के लिए फार्म 08 भरकर मतदान केन्द्रो में नियुक्त अभिहित अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाईन वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एनव्हीएसपी डॉट इन में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।